भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 770
(25 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की भूमिका

770. श्री सुभाष बराला:
श्री मिथलेश कुमार:
श्री रायगा कृष्णैयाः
श्री रामेश्वर तेली:
डॉ. सुधांशु त्रिवेदी:
श्री आदित्य प्रसादः
श्री राजीब भट्टाचार्जी:
डॉ. कविता पाटीदार:
श्री बाबू राम निषादः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की क्या भूमिका है;
(ख) क्या इस संबंध में निजी क्षेत्र के संस्थानों या गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ कोई सहभागिता की गई है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और कार्यक्रम-वार , विशेषकर झारखंड राज्य के लिए , ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत, ग्रामीण विकास मंत्रालय देश में गरीबी उन्मूलन के लिए ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराकर उनके कौशल विकास के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है।

डीडीयू-जीकेवाई का उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगार से जुड़ा कौशल प्रदान करना तथा उन्हें न्यूनतम मजदूरी या उससे अधिक नियमित मासिक मजदूरी वाली नौकरियां प्रदान करना है। डीडीयू-जीकेवाई 15-35 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम है। यह ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगारपरक कौशल से सशक्त बनाता है तथा नियमित श्रम बाजारों में उनकी भागीदारी को सुगम बनाता है। डीडीयू-जीकेवाई दिशानिर्देश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (50%), महिलाओं (33%), और दिव्यांगजनों (5%) को सामाजिक समावेशन प्रदान करता है।

आरएसईटीआई ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित एक प्रशिक्षण संस्थान है , जिसकी स्थापना प्रायोजक बैंकों द्वारा अपने जिलों में कौशल एवं उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की जाती है। यह मंत्रालय आरएसईटीआई भवन के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है तथा 'ग्रामीण गरीब' अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण का खर्च भी वहन करता है। आरएसईटीआई में 18-50 वर्ष की आयु के किसी भी बेरोजगार युवा को प्रशिक्षण देने का प्रावधान भी है , जो स्वरोजगार या मजदूरी रोजगार करने इच्छुक हो।

देश में, डीडीयू-जीकेवाई के तहत कुल 17,50,784 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और कुल 11,48,247 उम्मीदवारों को रोजगार दिया जा चुका है, और आरएसईटीआई के तहत, कुल 56,69,265 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और योजना के आरंभ से जून 2025 तक कुल 40,99,578 उम्मीदवारों को रोजगार दिया जा चुका है।

इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के बीच जून 2025 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) और (ग). डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) द्वारा परियोजना मोड में किया जाता है। ये पीआईए कोई भी इकाई हो सकती है , जो इस प्रकार है:

i) राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कोई सरकारी या अर्ध-सरकारी संगठन,

ii) नीति आयोग से पंजीकृत एनजीओ,

iii) भारतीय ट्रस्ट अधिनियमों या किसी राज्य सोसायटी पंजीकरण अधिनियम या किसी राज्य सहकारी समितियों या बहु -राज्य सहकारी अधिनियमों या कंपनी अधिनियम 2003 या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008, या स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और इसके संघों अर्थात् क्लस्टर स्तरीय संघ / ब्लॉक स्तरीय संघ के तहत पंजीकृत,

iv) स्टार्ट-अप आदि को छोड़कर तीन वर्ष से अधिक पुरानी इकाई।

डीडीयू-जीकेवाई के तहत झारखंड राज्य सहित परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) की राज्य-वार संख्या अनुबंध-I में दी गई है।
आरएसईटीआई एक बैंक द्वारा संचालित योजना है।

अनुबंध-I

"कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में एनआरएलएम की भूमिका " के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 25.07.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 770 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध I

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	पीआईए की कुल संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4
आंध्र प्रदेश	35
अरुणाचल प्रदेश	4
असम	12
बिहार	7
छत्तीसगढ़	10
गुजरात	15
हरियाणा	32
हिमाचल प्रदेश	18
जम्मू और कश्मीर	10
झारखंड	28
कर्नाटक	7
केरल	24
मध्य प्रदेश	21
महाराष्ट्र	43
मणिपुर	6
मेघालय	7
मिजोरम	3
नागालैंड	5
ओडिशा	26
पुदुचेरी	3
पंजाब	32
राजस्थान	31

सिक्किम	3
तमिलनाडु	36
तेलंगाना	28
त्रिपुरा	4
उत्तर प्रदेश	90
उत्तराखंड	14
पश्चिम बंगाल	23
कुल योग	**466**

स्रोतः कौशल भारत पोर्टल।